UPMT010034542024

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–10, मथुरा।
दाण्डिक प्रकीर्ण सं०–252/2024
छोटे उर्फ छोटेलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि

10–02–2025

पत्रावली प्रस्तुत। पत्रावली आज प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 5 ख अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम, समर्थित शपथपत्र 6 ख के निस्तारण आदेश में नियत है, जिस पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता व विपक्षी संख्या 1 राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को पूर्व नियत दिनांक पर सुना जा चुका है। पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी विपक्षी संख्या 2 अनुपस्थित।

पत्रावली का परिशीलन किया।

प्रार्थी छोटे उर्फ छोटेलाल की ओर से प्रार्थनापत्र 5 ख अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त पुनरीक्षण, न्यायालय के समक्ष तलबी आदेश दिनांक 01.06.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत किया जा रहा है। तलबी आदेश के हिसाब से उपरोक्त पुनरीक्षण आज की तारीख तक करीब 6 माह 10 दिन देरी से है। प्रार्थी को इलाका पुलिस द्वारा 06.04.2024 को सम्मन की सूचना दी कि आपको न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 6 मथुरा के समक्ष उपस्थित होना है। इस प्रकार उक्त पुनरीक्षण में सूचना के हिसाब से कोई देरी नही है, यानी समय से है।

अतः प्रार्थनापत्र 5 ख में वर्णित उक्त आधार पर प्रार्थी ने पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किये जाने की याचना न्यायालय से की है।

उक्त प्रार्थनापत्र के विरूद्ध विपक्षी संख्या 1 की ओर से मौखिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया है कि उक्त तलबी आदेश दिनांक 01.06.2023 की जानकारी प्रार्थी को शुरू से रही है, पुनरीक्षणकर्ता द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर उपरोक्त दाण्डिक पुनरीक्षण देरी से प्रस्तुत किया गया है, अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र 5 ख अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम खारिज होने योग्य है।

विपक्षी संख्या 2 की ओर से प्रार्थनापत्र 5 ख के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी है।

प्रार्थी के प्रार्थनापत्र 5 ख के अनुसार परिवाद संख्या 30227/2022 गीता बनाम गोपाल आदि, अन्तर्गत धारा 420 भा०द०सं० थाना बल्देव, जिला मथुरा में पारित आदेश दिनांक 01.06.2023 की जानकारी प्रार्थी को नही थी, जब दिनांक 06.04.2024 को इलाका पुलिस द्वारा सम्मन की सूचना दी गयी, तब प्रार्थी को उक्त आदेश की जानकारी हुई। उसके पश्चात प्रार्थी द्वारा पुनरीक्षण याचिका दिनांक 10.04.2024 को न्यायालय के समक्ष संस्थित कर दी गई। प्रार्थी के अनुसार पुनरीक्षण प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ है वह तलबी आदेश दिनांक 01.06.2023 की जानकारी के अभाव के कारण हुआ व जानबूझकर नही किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के तर्क को देखते हुये तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये, प्रार्थी की ओर से, पुनरीक्षण याचिका को विलम्ब से न्यायालय के समक्ष संस्थित करने का जो कारण, प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र 5 ख में दिया है वह पर्याप्त कारण होना परिलक्षित होता है एवं यहॉ यह भी बात ध्यान देने योग्य है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **शिल्पा बनाम मधुकर एवं अन्य, 2001(2)जे०आई०सी० पेज 588, (S.C.)** में माननीय न्यायालय द्वारा यह मत दिया गया है कि धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में न्यायालय को उदारवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिये और मात्र प्रक्रिया की तकनीकियों के आधार पर प्रार्थनापत्र निरस्त नही करना चाहिये। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन के आधार पर, विलम्ब का कारण पर्याप्त पाते हुये, प्रार्थनापत्र 5 ख पोषणीय होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य है, परन्तु विलम्ब से पुनरीक्षण संस्थित करने के कारण विपक्षी/ परिवादी पक्ष को, जो क्षति हुई, उसकी क्षतिपूर्ति हेतु, प्रार्थनापत्र 5 ख हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 5 ख, 600/–रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी हर्जा अन्दर सात दिन में अदा करे, हर्जा अदायगी के उपरान्त पत्रावली अंगीकरण के बिन्दु पर सुने जाने हेतु दिनांक 25.02.2025 को माननीय जनपद न्यायाधीश, मथुरा के समक्ष प्रस्तुत हो।

(श्वेता वर्मा)
(Ms. Sweta Verma)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–10, मथुरा
J.O.Code– U.P. 6428

Digitally signed by SWETA VERMA
Date: 2025.02.11 17:12:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court